-प्रेस नोट-

दिनांकः 02.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर हिस्ट्रीशीटर अपराधी को अवैध चाकू सहित किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 02.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर हिस्ट्रीशीटर अपराधी **शौकीन पुत्र मुमताज नि0 ग्राम अलीपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को **दबनी कब्रिस्तान के समाने अम्बाला रोड** से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 01 अवैध चाकू व चोरी की मोटरसाईकिल सीटी-100 नं0 UP11BD5298 बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त शौकीन उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 292/2024 धारा 4/25 आर्मस एक्ट व धारा 317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। बरामद चोरी की मोटरसाइकिल के सम्बन्ध मे थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 555/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जिस पर जनपद सहारनपुर के अलग-अलग थानो पर लगभग 02 दर्जन मुकदमें दर्ज है। अभियुक्त थाना सरसावा का हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी है। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभि0 द्वारा बताया कि मैं चोरी एंव लूट की घटनाए कर चुका हूं, मैं अपनी सुरक्षा के लिए चाकू अपने पास रखता हूँ पकडे जाने पर लोगो को डराकर भाग सकू। मोटरसाईकिल के बारे में पूछने पर बताया कि दिनांक 30.09.24 को मैने देवबंद कचहरी के सामने से चोरी की थी, जिसको मैं चोरी करके अपने घर ले आया था, मैं नशे का आदी हूं पैसे की जरुरत पड रही थी इसलिए मैने इस मोटरसाईकिल को चोरी किया था सही दाम मिलने पर इसको बेच देता लेकिन इससे पहलने ही आपने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शौकीन पुत्र मुमताज नि0 ग्राम अलीपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 नाजायज चाकू (सम्बन्धित मु0अ0स0 292/2024 धारा 4/25 आर्मस एक्ट व 317(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर)
- 01 चोरी की मोटरसाईकिल सीटी-100 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 555/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना देवबन्द)

अभियुक्त शौकीन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 57/24 धारा 406/411/420 भादवि थाना कुतुबशेर
2. मु0अ0स0 58/24 धारा 406/411/420 भादवि थाना कुतुबशेर
3. मु0अ0स0 61/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर

4. मु0अ0स0 162/20 धारा 222/223/224 भादवि थाना सदर बाजार
5. मु0अ0स0 192/22 धारा 392/411 भादवि थाना सरसावा
6. मु0अ0स0 213/22 धारा 392/411 भादवि थाना सरसावा
7. मु0अ0स0 214/22 धारा 307 भादवि थाना सरसावा
8. मु0अ0स0 216/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा
9. मु0अ0स0 257/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सरसावा
10. मु0अ0स0 441/19 धारा 323/376 भादवि व 3(2)(v) sc/st act थाना सरसावा
11. मु0अ0स0 555/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबन्द
12. मु0अ0सं0 292/2024 धारा 4/25 आर्मस एक्ट व 317(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सचिन पूनिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 338 कपिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 31 सुभाष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 02.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा बन्द घरों में चोरी की घटनाए कारित करने वाला वांछित 01 शातिर नकबजन/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर बडी मात्रा में चोरी के आभूषण बरामद

अवगत कराना है कि थाना गागलहेडी क्षेत्र के ग्राम दिनारपुर व गागलहेडी के 04 घरों में चोरों द्वारा ताला तोडकर सामान चोरी किया गया था। जिस सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0- 57/24 धारा- 457/380/411 भादवि, मु0अ0सं0- 67/24 धारा- 457/380/411 भादवि, मु0अ0सं0- 107/24 धारा- 457/380/411 भादवि व मु0अ0सं0- 119/24 धारा- 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किये गये थे। उपरोक्त मुकदमों में 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी आदि घटनाओ की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान बन्द घरों में चोरी की घटनाएं कारित करने के मामलें में वांछित चल रहे 01 **शातिर नकबजन/अभियुक्त सन्दीप पुत्र रूल्हा नि0 ग्राम चकरहेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को मक्काबाँस फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार किया गया। **कब्जे से 01 मोटरसाइकिल व प्लास्टिक की थैली/पन्नी से कुछ आभूषण बरामद तथा अभियुक्त की निशादेही पर अभियुक्त के घर से घरों की चोरी का सामान भी बरामद किया गया**। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की बढोतरी की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u> अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैने दीनारपुर तथा गागलहेडी से कुछ महीने पहले अपने 03 साथियो के साथ मिलकर बन्द पडे मकानो में चोरी की थी। अभियुक्त द्वारा जिन मकानों में चोरी की गयी है उनके बारे में पूछा गया तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि एक चोरी तो हमने फातिमा मस्जिद के पास बन्द मकान में करी थी। इसके बाद हमने दिनारपुर कस्बे में और दिनारपुर में ही शान्तिकुंज कालोनी में जिस मकान में लाल रंग का गेट लगा है उसमें चोरी की थी। चोरी किये माल में से थोडा थोडा माल हम लोगों ने आपस में खर्चा चलाने के लिये बाँट लिया था और बाकी माल को मैने अपने घर में अलग अलग जगह पर पन्नी में बांधकर सुरक्षित रख दिया था। मुझे पता चला था कि मेरे साथियों को पुलिस ने पकडकर जेल भेज दिया है। मैं तभी से पुलिस से बचता फिर रहा था। मैने सोचा था कि बचे हुए माल को मैं, मेरे साथियो के जेल से आने के बाद बराबर बाँट दूँगा। मुझे अभी कुछ दिन पहले आपरेशन से बच्ची हुयी है मेरे पास खर्चा चलाने को पैसे नही थे। मैने सोचा था कि मेरे पास जो चोरी के माल रखा है उसे बेच देता हूँ इसलिए कुछ माल निकालकर आज बेचने के लिये रूडकी जा रहा था तो आप लोगों ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. सन्दीप पुत्र रूल्हा नि0 ग्राम चकरहेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सन्दीप पुत्र रूल्हा उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 57/24 धारा 457/380 भादवि थाना गागलहेडी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 67/24 धारा 457/380 भादवि थाना गागलहेडी सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 107/24 धारा 457/380 भादवि थाना गागलहेडी सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 119/24 धारा 331(4)/305ए/317(2)/317(5) बीएनएस थाना गागलहेडी सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 14 सिक्के सफेद धातु, 03 जोडी पाजेब सफेद धातु, 06 जोडी बिछवे सफेद धातु, 01 छोटी कटोरी सफेद धातु, 01 टीका पीली धातु, 01 ओम पीली धातु **(सम्बन्धित मु0अ0सं0 119/24 धारा 331(4)/305ए/317(2)/317(5) बीएनएस थाना गागलहेड़ी)**
- 05 अंगुठी सफेद धातु मर्दाना, 01 सैट गले का पीली धातु, 02 अंगुठी पीली धातु , 02 कानो के कुंडल पीली धातु, 01 जोडी कानो की झुमकी पीली धातु, 01 जोडी कानो की बाली पीली धातु, 01 जोडी तिल्ली नाक पीली धातु, 05 जोडी पजेब सफेद धातु, 01 कलाई ब्रेसलेट सफेद धातु, 02 जोडी पचाकले / सोखबन्द सफेद धातु, 01 अंगुठी महिला सफेद धातु, 01 पैन्डल सफेद धातु, 03 जोडी कडे सफेद धातु **(सम्बन्धित मु0अ0सं0- 57/24 धारा 457/380 भादवि थाना गागलहेड़ी)**
- 01 सैट गले का पीली धातु , 01 टीका पीली धातु, 01 नथ पीली धातु, 02 अंगुठी पीली धातु मर्दाना, 02 अंगुठी महिला पीली धातु, 02 ओम पीली धातु, 01 लाकेट पीली धातु, 06 लांग पीली धातु, 01 चोटी सफेद धातु, 02 पजाकले सफेद धातु, 10 सिक्के सफेद धातु, 01 नथ पीली धातु, 01 टीका पीली धातु, 01 जोडी चुडी सफेद धातु **(सम्बन्धित मु0अ0सं0 67/24 धारा 457/380 भादवि थाना गागलहेड़ी)**
- 02 झुमकी पीली धातु **(सम्बन्धित मु0अ0सं0 107/24 धारा 457/380 भादवि थाना गागलहेड़ी)**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री उपेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री प्रवेश शर्मा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. उ0नि0 (यूटी) श्री हितेश थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
6. का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 02.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोरो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वादी श्री मेहरबान पुत्र शहीद निवासी मौहल्ला कानूनगोयान थाना नानौता जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनाँक 18/19.09.2024 की रात्रि मे अज्ञात चोरो द्वारा वादी व वादी के भाई के घर से आभूषण व रुपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना नानौता पर मु0अ0स0 214/24 305 बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चोरी/नकबजनी आदि की रोकथाम व शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार गश्त/चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री अमित नागर के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करके चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **अभियुक्तगण 1. अनीश उर्फ बोना पुत्र शौकत निवासी रुहाडा वाली गली निवासी मौ0 कानूनगोयान थाना नानौता जनपद सहारनपुर व 2. गुलजार पुत्र मीर हसन निवासी गली न0-5, मौ0 कानूनगोयान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर को** रुहाडा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। **अभियुक्त अनीश उर्फ बोना उपरोक्त के कब्जे से** एक जोडी पाजेब सफेद धातु, दो अंगूठी सफेद धातु, एक जोडी कानो के कुंडल पीली धातु, एक अंगूठी पीली धातु, एक गले का हार पीली धातु, पहनी पैन्ट की दायी जेब से कुल 3500/- रूपये नकद व **अभियुक्त गुलजार उपरोक्त के कब्जे से** एक जोडी पाजेब सफेद धातु, दो अंगूठी सफेद धातु, एक जोडी कानो के कुन्डल पीली धातु व हाथो के 04 कडे पीली धातु व पहनी पैन्ट की दायी जेब से 3700/- रुपये बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम बेरोजगार है और नशे के आदी है। हमे पैसो की जरुरत थी। करीब15 दिन पहले हम दोनो ने हमारे एक अन्य साथी के साथ मिलकर हमारे मौहल्ले के मेहरबान व उसके भाई के घर मे घुसकर चोरी की थी। हम से जो चोरी के आभूषण व रुपये मिले है यह उसी चोरी के आभूषण व रुपये है जो हमने आपस मे बाँट लिये थे। कुछ रुपये हमसे खर्च हो गये है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. अनीश उर्फ बोना पुत्र शौकत निवासी रुहाडा वाली गली निवासी मौ0 कानूनगोयान थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. गुलजार पुत्र मीर हसन निवासी गली न0-5, मौ0 कानूनगोयान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 02 जोडी सफेद धातु पाजेब

- 04 अंगूठी सफेद धातु
- 01 अंगूठी पीली धातु
- 02 जोडे कानो के कुंडल पीली धातु
- 01 गले का हार पीली धातु
- 04 हाथो के कडे पीली धातु व नकद 7200 रुपये

आपराधिक इतिहास अभि0 गुलजार—

1. मु0अ0स0 203/03 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 214/24 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना नानौता सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री अमित नागर थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र शर्मा थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. है0का0 597 मोहसीन थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. हो0गा0 2030 जीशान थाना नानौता जनपद सहारनपुर

दिनांक:02.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा गौकशी के मामले में हिस्ट्रीशीटर सहित कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 गाड़ी (बुलेरो मैक्स), 03 गौवंश व गौकशी के उपकरण (02 छुरी, 01 कुल्हाड़ी, 03 रस्सी व 01 लकड़ी का गट्टा) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद में गौकशी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें सलिप्त अपाराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे चैकिंग अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्रधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 01.10.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर गौकश अभियुक्तगण **1.जनक पुत्र पूरण सिंह निवासी ग्राम पदमनगली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर व 2.अरशद पुत्र असगर निवासी ग्राम बुड्डाखेड़ा थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को जंगल ग्राम मलकपुर से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक बुलेरो मैक्स गाड़ी UP11CT7118 व 03 रास गौवंश व गौकशी के उपकरण (03 छुरी, 01 कुल्हाड़ी लोहा, 03 रस्से, 01 गट्टा लकड़ी का) बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 344/2024 धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधिनियम व 3/11 पशु क्रुरता अधि0 के पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण थाना नकुड़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0159/24 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम व मु0अ0सं0 319/24 धारा 3/5-क/8 गोवध अधिनियम व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित चल रहे थे। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय से समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि हम दोनो अपनी साथी के साथ अपनी इस गाड़ी बुलेरो से इन तीनो गौवंशो को लोग जमुना खादर हरियाणा क्षेत्र से पकड़कर काटने के लिए गाड़ी में लाये थे और इन्हे ग्राम भगवानपुर के जंगल में सुनसान स्थान पर ले जाकर कटान की फिराक में थे। लेकिन यहाँ कुछ लोगो ने हमें घेर लिया तभी अचानक पुलिस वहा आ गयी और हमारा एक साथी मौके से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. जनक पुत्र पूरण सिंह निवासी ग्राम पदमनगली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. अरशद पुत्र असगर निवासी ग्राम बुड्डाखेड़ा थाना गंगोह जिला सहारनपुर

अभियुक्त जनक उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 159/24 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 198/21 धारा 307/34/414/465 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 201/21 धारा 3/5-क/8 गोवध अधिनियम चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 204/21 धारा 4/25 आर्म एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 46/22 धारा 3/5-क/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 429 भादवि चालानी रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

अभियुक्त अरशद उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 84/24 धारा 60 आबकारी अधि0 चालानी थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 बुलेरो मैक्स गाड़ी
- 03 रास गौवंश
- 03 छुरी
- 01 कुल्हाड़ी
- 03 रस्सी
- 01 लकड़ी का गट्टा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री बीरबल सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
3. का0 2501 प्रताप सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
4. का0 2555 राहुल कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
5. का0 202 विवेक धामा थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
6. का0 2245 अंशु यादव थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: **02.10.2024**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी सहारनपुर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के मामले में 15000/- रूपये के पुरस्कार घोषित अपराधी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.10.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्ड़ी पुलिस टीम द्वारा 15000/- रूपये का इनामी NBW वारंटी **संजीव पासवान पुत्र दामोदर पासवान निवासी ग्राम नयागाव जनपद बेगूसराय बिहार** वाद सं0 5764/22 व मु0अ0सं0 303/2018 धारा 420/467/471 भादवि व 66 डी आईटीएक्ट चालानी थाना मण्डी में सहारनपुर बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही समय से मा0 न्यायालय में पेश किया जा रहा है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

संजीव पासवान पुत्र दामोदर पासवान निवासी ग्राम नयागाव जनपद बेगूसराय बिहार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना मण्डी सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिह थाना मण्डी सहारनपुर
3. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी सहारनपुर
4. है0का0 477 विनोद पवार थाना मण्डी सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 02.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 11 बोतल अबैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद में मादक पदार्थो की तस्करी व इसमें संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्वेक्षण मे तथा थाना प्रभारी नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान आज दिनांक 02.10.2024 को **अभियुक्त जीशान पुत्र फैजान निवासी ग्राम मौहल्ला मिर्धान टावर वाली गली कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को हाईवे पुल से कल्याणपुर कि तरफ रास्ते से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 11 बोतल अबैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0स0 300/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त से पूछताछ की गई तो अभियुक्त ने बताया कि मै नशे का आदी हूँ यह शराब मै हरियाणा से सस्ते दामों में लाकर हाईवे पर आन-जाने वाले ट्रक चालको को बेचकर काभी मुनाफा कमा लेता हूँ। जिससे मेरे नशा की जरूरत भी पूरी हो जाती है तथा अन्य शौक भी पूरे हो जाते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

जीशान पुत्र फैजान निवासी ग्राम मौहल्ला मिर्धान टावर वाली गली कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

11 बोतल अबैध देशी शराब हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री रामवीर सिहँ थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. का0 1997 विनीत थाना सरसावा सहारनपुर
3. का0 2423 मनमोहन थाना सरसावा सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 02.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा स्कूल बस पर फायरिंग करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अबैध देशी तंमचा व 02 जिन्दा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 24.08.2024 को वादी श्री रवि कुमार पुत्र श्री बेगराज सिंह निवासी ग्राम भायला कला थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ने थाने पर उपस्थित आकर लिखित तहरीर बावत अभियुक्त 1.बसन्त गुज्जर पुत्र नामालूम निवासी ग्राम हैदरपुर व 04 अन्य व्यक्ति अज्ञात द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नियत से वादी की बस सं0 UP11BT4877 में बैठे छात्रों पर गोलियों चलाना जिसमें छात्रो व चालक का बाल बाल बच जाने के सम्बन्ध में थाना देबवंद पर मु0अ0सं0- 463/24 धारा 190/191/109 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना देवबन्द पुलिस टींम द्वारा आज दिनाक 02.10.2024 को मुकदमा उपरोक्त मे वाछित **अभियुक्त आनंद सैनी पुत्र प्रमोद सैनी निवासी अगवान हेडा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर बास्तम रोड पर निर्माणधीन रेलवे पुल देवबंद से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही से घटना में प्रयुक्त 01 अबैध देशी तंमचा व 02 जिन्दा कारतूस बारमद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

आनंद सैनी पुत्र प्रमोद सैनी निवासी अगवान हेडा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी की विवरणः–

01 अबैध देशी तमंचा 315 बोर

02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री विकास चारण थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 794 अरूण सोलंकी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. का0 976 गौरव दांगी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. का0 2334 रवि कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 02.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा जनपद सहारनपुर की सीमाओ से 06 माह के लिए जिलाबदर घोषित किये गये जिलाबदर अपराधी को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/जिला बदर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.10.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 जिला बदर अभियुक्त **सावेज पुत्र कल्लू उर्फ नसीम निवासी ग्राम गदेवड़ा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद स0 337/24 कंप्यूटरीकृत वाद स0 डी202409600000337 को देहरादून रोड़ क्षेत्र थाना जनकपुरी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार जिला बदर अभियुक्त का नाम व पता-

सावेज पुत्र कल्लू उर्फ नसीम निवासी ग्राम गदेवड़ा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 74/23 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट थाना गागलहेड़ी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 114/23 धारा 380/411 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 143/23 धारा 380 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 380/19 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 16/20 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 125/19 धारा 307 भादवि थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 126/19 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 79/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 140/19 धारा 307 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 141/19 धारा 3/5 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना फतेहपुर सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 144/17 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 379/19 धारा 147/148/307 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 595/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना फतेहपुर सहारनपुर
14. मु0अ0सं0 255/20 धारा 283 गैंगस्टर एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर
15. मु0अ0सं0 293/23 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
16. मु0अ0सं0 76/24 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री सोनू राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. का0 2321 बबलू कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर

दिनांक: **02/10/2024**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 04 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे चोरी के 10 मोबाइल फोन व 02 मोटरसाईकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 10.09.2024 को वादी श्री अशोक कुमार पुत्र करण सिह नि0 ग्राम कम्हेडा थाना गंगोह सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 02.09.2024 को अज्ञात चोर द्वारा वादी का मोबाईल फोन चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 400/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे चोरी की घटनाओ की रोकथाम व नकबजन अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.10.2024 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त मुकदमे में चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 04 शातिर अभियुक्तगण **1. बिलाल पुत्र उस्मान नि0 मौ0 बाहुद्दीन कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर 2. गुलफाम पुत्र शब्बीर नि0 हमजागढ थाना गंगोह जिला सहारनपुर 3. वसीम पुत्र राशिद नि0 घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर 4. बाना पुत्र इकबाल नि0 ग्राम खानपुर गुर्जर थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को विद्यार्थी तिराहा कस्बा गंगोह से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 10 मोबाईल फोन व चोरी की 02 मोटर साईकिल स्पलैण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट भी बरामद हुई। **अभियुक्त बिलाल उपरोक्त से बरामद 01 मोबाईल फोन थाना गंगोह पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 400/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित है ।** अभियुक्तगण से बरामद अन्य 09 मोबाईल फोन व 02 मोटर साईकिल के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर **मु0अ0सं0 440/24 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस** पजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण- अभियुक्तों ने पूछने पर एक साथ बताया कि बताया कि हम लोग नशे के आदी है और अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी करते है हमने पूर्व में हरियाणा से भी मोटर साईकिल चोरी की थी ये सब सामान आज हम राह चलते व्यक्तियो को बेचने की फिराक में थे तभी पुलिस टीम ने हमें पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. बिलाल पुत्र उस्मान नि0 मौ0 बाहुद्दीन कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
2. गुलफाम पुत्र शब्बीर नि0 हमजागढ थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
3. वसीम पुत्र राशिद नि0 घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर।
4. बाना पुत्र इकबाल नि0 ग्राम खानपुर गुर्जर थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- 01 Redmi 5G Phone
- 01 Oppo 10K Phone

- 02 Oppo Phone
- 01 Infinx Phone
- 01 Samsung 4g Duos Phone
- 01 Apple IPhone
- 01 Vivo Phone
- 01 Itel
- 01 Real me Narzo
- 02 मोटर साइकिल स्पलैडंर प्लस

अभियुक्त बिलाल का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 423/20 धारा 380/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री ब्रजलाल गंगवार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. है0कां0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. का0 326 रिंकू थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. का0 2452 रक्षित थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. का0 126 सविन थाना गंगोह जिला सहारनपुर